कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/2016–17 दिनांक :– 6.9.16

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा
(प्रथम/द्वितीय)–समस्त जिले

विषय :–शाला दर्पण पोर्टल के उपयोग के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है शाला दर्पण पोर्टल को अधिक उपयोगी बनाये जाने हेतु आवश्यक है कि विद्यालयों एवं समस्त कार्यालयों में उसके डाटा का उपयोग किया जावें इस हेतु आपको निर्देश दिये जाते है कि –

1. माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2015–16 मे अध्ययनरत उर्तीण विद्यार्थीयों को यदि शाला दर्पण पोर्टल पर क्रमोन्नत नही किया गया है तो तत्काल क्रमौन्नत करे, जिससे शाला दर्पण पर कक्षावार व विद्यालयवार नामांकन सही हो सके।
2. अनुर्तीण अथवा किसी कारण से एन.एस.ओ विद्यार्थीयो की उपर्युक्त प्रविष्ठी हेतु शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगीन द्वारा विद्यार्थी option मे जाकर REPEAT REQUEST के माध्यम से तत्काल सही करे ।
3. जिन विद्यार्थीयो को ऑफ लाईन टी.सी जारी कर दी गई है उन विद्यार्थीयो की शाला दर्पण पोर्टल से टीसी जारी करवाना सुनिश्चित कर उनकी शाला दर्पण से जारी की गई टी.सी. का क्रमांक एस.आर. रजिस्टर मे दर्ज करना सुनिश्चित करे।
4. माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2015–16 एवं उसके बाद अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की टी0सी0 किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन जारी नही की जावेंगी अर्थात् शाला दर्पण से जारी ऑनलाईन टी0सी0 व क्रमांक ही मान्य होगें।
5. माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों की कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण शाला दर्पण के द्वारा ऑनलाईन ही की जावें किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण आदेश मान्य नही होंगें।
6. शाला दर्पण के डाटा को अधिक प्रमाणिक बनायें जाने के लिए यह आवश्यक है कि विभाग के समस्त कार्यालयों में इसके डाटा का उपयोग सुनिश्चित किया जावें एवं अन्य किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स की आवश्यकता होने पर उसका प्रारूप शाला दर्पण प्रकोष्ठ –जयपुर को उपलब्ध करवाया जावें ताकि उन्हे तैयार कर आपके लॉगिन पर दिखाया जा सके। विद्यालयों से वह सुचनायें बार–बार नही ली जावें जो कि शाला दर्पण पर आपके लॉगिन पर उपलब्ध है।
7. कार्मिकों की कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण को शाला दर्पण पर सुनिश्चित करने हेतु अपने जिले के कोष कार्यालयों से सम्पर्क कर वेतन बिल प्रपत्र–3ए की प्रति के आधार पर पारित करवायें जावें।

(बी.एल. स्वर्णकार)
I.A.S
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
2. सिस्टम ऐंनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
3. रक्षित पत्रावली ।

6.9.16

सहायक निदेशक(शाला दर्पण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर